रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 127] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 28, 2010/वैशाख 8, 1932
No. 127] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 28, 2010/VAISAKHA 8, 1932

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 23 अप्रैल, 2010

सं. टीएएमपी/45/2005-केओपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा, कोलकाता पत्तन न्यास के वर्तमान दरमान की वैधता को, संलग्न आदेशानुसार विस्तार प्रदान करता है ।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/45/2005-केओपीटी

आदेश

(मार्च 2010 के 31वें दिन पारित)

यह प्रकरण कोलकाता पत्तन न्यास (केओपीटी) के वर्तमान दरमान की वैधता के विस्तार से संबंधित है ।

2. केओपीटी का वर्तमान दरमान इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार आदेश सं. टीएएमपी/45/2005-पीपीटी, दिनांक 29 दिसम्बर, 2006 के माध्यम से अनुमोदित किया गया था। आदेश में दरमान की वैधता 31 मार्च, 2009 तक निर्धारित की थी ।

3. केओपीटी के अनुरोध पर इस प्राधिकरण ने केओपीटी के वर्तमान दरमान की वैधता विस्तारित की थी। इस प्राधिकरण ने पिछली बार दिनांक 23 अक्तूबर, 2009 के आदेश के माध्यम से केओपीटी के दरमान की वैधता 31 मार्च, 2010 तक इस शर्त के अधीन बढ़ाई थी कि 1 अप्रैल, 2009 के बाद ग्राह्य लागत और अनुमेय प्रतिलाभ से अधिक केओपीटी को प्रोद्भूत अधिशेष को अगले चक्र के लिए तय किये जाने वाले प्रशुल्क में पूर्णरूपेण समायोजित किया जाएगा ।

4. पत्तन ने 27 जनवरी, 2010 को, संशोधन के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसे प्रशुल्क प्रकरण के रूप में पंजीकृत किया गया है और परामर्श के लिए लिया गया है । चूंकि वर्तमान दरमान की वैधता 31 मार्च, 2010 को समाप्त हो रही है और इसको अंतिम रूप दिए जाने से पहले इस प्रकरण की प्रक्रिया पर लगने वाले समय को देखते हुए, यह प्राधिकरण केओपीटी के वर्तमान दरमान की वैधता 30 सितम्बर, 2010 या संशोधित दरमान के क्रियान्वयन की प्रभावी तिथि, इनमें से जो भी पहले हो, तक विस्तारित करता है ।

5. दिनांक 27 मार्च, 2009 के आदेश में अनुबंधित शर्त कि 1 अप्रैल, 2009 के बाद ग्राह्य लागत और अनुमेय प्रतिलाभ से अधिक केओपीटी को प्रोद्भूत अधिशेष अगले चक्र के लिए तय किए जाने वाले प्रशुल्क में पूर्णरूपेण समायोजित किया जाएगा, अपरिवर्तित रहेगी ।

रानी जाधव, अध्यक्षा
[विज्ञापन III/4/143/10-असा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 23rd April, 2010

No. TAMP/45/2005-KOPT.—In exercise of the powers conferred by Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates at Kolkata Port Trust as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/45/2005-KOPT

ORDER

(Passed on this 31st day of March, 2010)

This case relates to extension of the validity of the existing Scale of Rates of the Kolkata Port Trust (KOPT).

2. The existing Scale or Rates of KOPT was last approved by this Authority *vide* Order No. TAMP/45/2005-KOPT, dated 29th December, 2006. The Order prescribed the validity of the Scale of Rates till 31st March, 2009.

3. At the request of the KOPT, this Authority extended the validity of the existing Scale of Rates of KOPT. This Authority last extended the validity of KOPT till 31st March, 2010 *vide* Order dated 23rd October, 2009 subject to the condition of full adjustment of surplus over and above the admissible cost and permissible return accruing to the KOPT after 1st April, 2009 in the tariff to be fixed for the next cycle.

4. The port has filed its proposal for revision which is registered as tariff case on 27th January, 2010 and taken on consultation. Since the validity of the existing SOR expires on 31st March, 2010 and recognising the time required for processing the case before its finalization, this Authority extends the validity of the existing SOR of the KOPT till 30th September, 2010 or till the effective date of implementation of the revised Scale of Rates, whichever is earlier.

5. The condition that the surplus over and above the admissible cost and permissible return accruing to the KOPT after 1st April, 2009 will be fully adjusted in the tariff to be fixed for the next cycle stipulated in the Order dated 27th March, 2009 stands unaltered.

RANI JADHAV, Chairperson

[ADVT III/4/143/10-Exty.]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.